14/8/24

क्षमिक आदेश ... की पालना में ... दिनांक 16/8/24

16/8/24

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार उपस्थित। उभय पक्ष बहस सुनी गयी। उभय पक्ष बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली कैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16-08-2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

16-08-24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 3 / 18 / 2024 दायर दिनांकः—08 / 07 / 2024

जीसीएमएस नं0ः—2024 / 346 निर्णय दिनांकः—16 / 08 / 2024

बउनवान

1. कमला पत्नी सूरजप्रसाद जाति दर्जी निवासी कठूमर
2. राजेश पुत्र सूरजप्रसाद जाति दर्जी निवासी कठूमर
3. महेश पुत्र सूरजप्रसाद जाति दर्जी निवासी कठूमर
4. रामावतार पुत्र सूरजप्रसाद जाति दर्जी निवासी कठूमर
5. राकेश पुत्र सूरजप्रसाद जाति दर्जी निवासी कठूमर
6. हरीमोहन पुत्र पूरण जाति दर्जी निवासी कठूमर
   तहसील कठूमर जिला अलवर।

——— प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तृहसीलदार कठूमर जिला अलवर ।

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम धारा— 1956

उपस्थितिः—1.श्री राजेन्द्रसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
2.पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर अप्रार्थी

—ःआदेशः—

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आ0 ख0 नं0 773 रकबा 0.10 हैक्ट0, खसरा नम्बर 1057 / 1850 रकबा 0.28 हैक्ट0 गैर मु0 आबादी वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की कब्जे की खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड आराजी है। उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण की जाति राजपूत दर्ज है जबकि प्रार्थीगण की जाति दर्जी है। प्रार्थीगण की जाति राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज है। उक्त आराजी मे राजस्व रिकार्ड में जाति दर्जी दर्ज होना चाहिए। लेकिन राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण की जाति राजपूत दर्ज के होने से प्रार्थीगण को काफी

16.8.24
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आर्थिक हानि व मानसिक क्षति हो रही है। हाल राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण की जाति गलत दर्ज रहने से प्रार्थीगण के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी बाबत राजपूत के स्थान पर दर्जी दर्ज करने व हाल राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पहचान के दस्तावेजों के अनुसार दुरूस्त कराने को कहा तो उसने साफ इन्कार कर दिया। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में जाति राजपूत के स्थान पर दर्जी दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिय नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण की जाति राजपूत के स्थान पर जाति दर्जी कर दिया जावे तो इससे कोई राज्यहित प्रभावित नहीं होता है। अतः पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर ने जवाब में बताया कि प्रार्थीगण की ग्राम मानपुर तहसील कठूमर में प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज आराजी में जाति दर्जी दर्ज है। प्रार्थीगण के बच्चों के जाति प्रमाण– पत्र में जाति दर्जी अंकित है। अप्रार्थी द्वारा जाति को शुद्व किये जाने की लिखित सहमति जवाब के द्वारा दी गई।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण की जाति राजपूत ना होकर दर्जी है। जिसकी ताईद पत्रावली पर उपलब्ध पहचान के समस्त दस्तावेजात से होती है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व विद्वान पैरोकार सरकार की बहस पर मनन करने पर यह पाया गया कि प्रार्थीगण की जाति राजपूत ना होकर दर्जी है। राजस्व रेकार्ड में इस तरह की दुरूस्ती से राजहित प्रभावित नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०

16.8.24
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

—:आदेश:—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 773 रकबा 0.10 हैक्ट0, खसरा नम्बर 1057/1850 रकबा 0.28 हैक्ट0 गैर मु0 आबादी वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में पर प्रार्थीगण की जाति राजपूत के स्थान पर दर्जी दर्ज करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश दिया जाता है कि वो उक्तानुसार हाल जमाबन्दी में संशोधित इन्द्राज करे। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.8.24

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी

कठूमर (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज.